संख्याः 1803/कार्मिक–2/2002.

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन।

2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः06 फरवरी 2003

विषयः विभिन्न विभागों के अंतर्गत/तदर्थ/संविदा/नियत वेतन/दैनिक वेतन पर की जाने वाली नियुक्तियों पर रोक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाये गये हैं, कि कतिपय विभागों द्वारा श्रेणी–'ग' तथा श्रेणी 'घ' के कतिपय पदों पर अस्थायी/संविदा/तदर्थ/नियत वेतन तथा दैनिक वेतन पर नियुक्तियाँ की जा रही है। और इस संबंध में किसी प्रकिया/मानदण्ड का अनुपालन भी नहीं किया जा रहा है। राज्याधीन सेवाओं/पदों पर नियुक्तियों के लिए सुसंगत सेवा नियमावलियों में भर्ती एवं चयन की प्रकियाएं प्रावधानित है। सेवाओं/पदों पर नियुक्तियाँ भर्ती एवं चयन के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार आवेदन पत्रों के खुले आमंत्रण कर चयन उपरान्त चयनित अभ्यर्थियों में से प्रवीणता क्रम में की जानी चाहिए। अन्यथा नियुक्तियों, जैसे दैनिक वेतन, नियत वेतन, तदर्थ नियुक्तियों से सेवा संवर्गो में विसंगतियाँ उत्पन्न होती हैं। ज्येष्ठता संबंधी विवाद भी उत्पन्न होते है। शासन की आरक्षण नीति के अनुसार विभिन्न वर्गो का सेवाओं/पदों पर आरक्षण प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता हैं। जबकि प्रतिबन्ध होने के पश्चात भी चयन की किसी प्रकिया का अनुपालन किये बिना की गई नियुक्तियां जहां एक ओर अनियमित नियुक्तियाँ है, वही दूसरी ओर ऐसी अनियमित नियुक्तियों के लम्बे समय तक बनाये रखने पर विनियमितीकरण की माँग उठती है। जिससे सेवा संबंधी मामलों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

2. इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:–

(1) श्रेणी 'ग' तथा श्रेणी 'घ' के किसी भी पद पर दैनिक वेतन/तदर्थ/संविदा/नियत वेतन पर नियुक्ति नहीं की जायेगी। इस प्रकार की नियुक्तियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध रहेगा। यदि किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों में तदर्थ नियुक्ति किया जाना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा, समुचित प्रकिया निर्धारित

करते हुए यथा सम्भव नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप हो, कार्मिक विभाग की सहमति के पश्चात् मा. मंत्रि परिषद के अनुमोदन से ही किया जा सकेगा। ऐसी नियुक्ति अस्थायी होगी। उपरोक्त से भिन्न रूप में की गयी अनियमित नियुक्तियों को गम्भीर कदाचार समझा जायेगा। इस प्रकार की नियुक्ति के उपरान्त वेतन आहरण के प्रकरण प्रकाश में आने पर संबंधित कोषाधिकारी /वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा उनका वेतन काट दिया जायेगा।

(ii) कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा ऐसी नियुक्ति के लिए प्रथमबार भुगतान हेतु बिल भेजे जाने पर संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी से उपरोक्त प्रस्तर–2 (1) के अनुसार अनुमोदन प्रक्रिया से नियुक्ति करने का प्रमाण पत्र 2 प्रतियों में प्राप्त किया जायेगा। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र न उपलब्ध कराने पर संबंधित व्यक्ति का वेतन आहरण नहीं किया जायेगा। आगामी माह के प्रथम सप्ताह में ऐसे प्राप्त प्रमाण पत्रों की एक प्रति संबंधित कोषाधिकारी द्वारा सचिव, कार्मिक विभाग को पंजीकृत डाक/विशेष वाहक द्वारा प्रत्येक माह की 10 तारीख तक उपलब्ध करायी जायेगी।

(iii) प्रस्तर 2 (1) के अनुसार की गयी नियुक्तियों को लम्बे समय तक नहीं चलाया जायेगा। सुसंगत सेवा नियमावली के प्रावधानों के अनुसार नियमित भर्ती एवं चयन कर प्रक्रिया शीघ्रताशीघ्र पूरी करके चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जायेगी।

(iv) जिन नियुक्ति प्राधिकारियों/आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा इसका उल्लंघन करके अनियमित नियुक्तियाँ की जायेगी, उनके विरुद्ध अनियमित नियुक्तियाँ करने के लिए अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी और अनियमित नियुक्त कार्मिक के वेतन/भत्तों पर किये गये व्यय को उनसे वसूला जायेगा। शासन से उपरोक्तानुसार अनुमति प्राप्त किये बिना की गयी अनियमित नियुक्तियों को संबंधित नियोक्ता द्वारा तत्काल प्रक्रिया के अनुसार समाप्त किया जायेगा।

(v) प्रस्तर 2 (1) में उल्लिखित रीति से भिन्न रीति से की गयी अनियमित नियुक्ति करने पर उसका वेतन आहरित होने पर इस आशय की प्रतिकूल प्रविष्टि संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी की चरित्र पंजिका में की जायेगी।

3. अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Alok Jain

(आलोक कुमार जैन)
सचिव